

प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 19.11.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा 06 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 19.01.2022 को थाना फूलबेहड पुलिस द्वारा 06 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण

- 2. मुन्ना पुत्र रघुवीर
- 3. शारदा पुत्र रघुवीर निवासीगण तेतारपुर पश्चिम थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
- 4. अली रजा पुत्र स्व0 सोने
- 5. इखलाख पुत्र अली रजा
- 6. निसार पुत्र अली रजा निवासीगण ग्राम गंगाबेहड़ थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1. उ०नि० श्री नागेन्द्र कुमार पाण्डेय, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
- 2. का० राहुल कुमार, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
- 3. का० धीरज राघव, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।
- 4. का० मनजीत सिंह, थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी ।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित 01 नफर अभियुक्त नफीस पुत्र बन्धा को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के कुशल निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नीमगांव के नेतृत्व में थाना नीमगांव पुलिस टीम द्वारा नफीस पुत्र बन्धा निवासी जगना थाना नीमगांव जनपद खीरी को जगना रोड़ पर भूलनपुर रोड पर कांटे के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर थाना नीमगांव पर मु0अ0स0 388/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त-

1. नफीस पुत्र बन्धा निवासी जगना थाना नीमगांव जनपद खीरी

बरामदगी-

1. एक अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० ०६१/१६ धारा ३०७/५०४ भा०द०वि० थाना नीमगांव जनपद खीरी

- 2. मु०अ०सं० ०९५/२१ धारा ३/२५ आयुध अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी 3. मु०अ०सं० ३८८/२२ धारा ३/२५ आयुध अधिनियम थाना नीमगांव जनपद खीरी

- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम 1. उ0नि0 श्री सुनील बाबू अवस्थी प्रभारीचौकीबेहजम थाना नीमगांव जनपद खीरी 2. का0 रोहित कुमार थाना नीमगांव जनपद खीरी 3. का0 वारिश यादव थाना नीमगांव जनपद खीरी

थाना प्रसगवां पुलिस द्वारा, मु०अ०सं० ५०५/२०२२ धारा ४५२/३२३/५०४/५०६ भादवि का अभियुक्त अजीत पुत्र कबूल को गिरफ्तार किया गया



दिनांक 18.11.2022 समय करीब 23.03 बजेमुकदमा उपरोक्त के वादी श्री सुधीर कुमार सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम मोहिउदीनपुर थाना प्रसमवां खीरी अपने पुत्रमण अंकुर सिंह व अमीन सिंह के साथ अभियुक्त अजीत पुत्र कबूल सिंह नि0ग्राम मोहिउदीनपुर थाना प्रसमवां खीरी को प्रकड़कर 01 अदद लोहे के बांके के साथ उपस्थित थाना आये थे। अभियुक्त अजीत उपरोक्त ने मुकदमा वादी के घर में घुसकर मुकदमा वादी से मारपीट की थी। अभियुक्त द्वारा मुकदमा वादी से मारपीट करने के समय प्रयोग किये गये 01 अदद लोहे के बांके को कब्जा पुलिस में लिया गया। मुकदमा वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु030सं० 505/2022 धारा 452/323/504/506 भादिव पंजीकृत किया गया। अभियुक्त आपराधिक प्रवित्त का न्यक्ति हैं जो आये दिन गांव में लोगो से झगड़ा करता रहता हैं जिससे गांव में दहशत का माहौंत बना हुआ हैं। अभियुक्त की गिरपतारी न करने पर अभियुक्त द्वारा पुनः संज्ञेय अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना थी। इसित्ये अभियुक्त की गिरपतारी हे0मो0 हरीश कुमार सिंह थाना प्रसमवां जनपद खीरी द्वारा समय करीब 21.40 बजे की गई। अभियुक्त अजीत उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना स्थानीय पर एनसीआर नं० 72/2019 धारा 323/504 भादिव तथा मु030सं० 292/2022 धारा 323/504/427/336 भादिव व 3(1) द, ध, एससी एसटी एक्ट पंजीकृत हैं। अभियुक्त अजीत उपरोक्त का वालान आज दिनांक 19.11.2022 को मा0 न्यायालय किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अजीत पुत्र कबूल सिंह नि0ग्राम मोहिउद्दीनपुर थाना पसगवां खीरी |

गिरपतार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1. एनशीआर नं० ७२/२०१९ धारा ३२३/५०४ भादवि
- 2. मू०अ०सं० २९२/२०२२ धारा ३२३/५०४/४२७/३३६ भादवि व ३(१) द, ध, एससी एसटी एक्ट

<u>***गिर0 दिनांक**</u>-18.11.2022 समय -21.40 बजे **।***

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त से कब्जे से ०१ अदद लोहे का बांका बरामद।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त प्रकाश पुत्र तीर्थराम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 18.11.22 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रकाश पुत्र तीर्थराम निवासी ग्राम लुकाईपुरवा थाना धौरहरा जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना ईसानगर पर मु0अ०सं० 476/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा॰ न्यायालय भेजा गया।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

- 1. थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा, अ०सं० ४९६/१९ धारा ४९८८/३२३/५०६ भादवि व ३/४ डीपी एक्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त मुन्ना एवं मोनिस पुत्रगण सैफुद्दीन निवासी औरंगाबाद थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 2. थाना गोला पुलिस द्वारा, अ०सं० ४५७७/१६ से संबंधित वारंटी अभियुक्त इकलाख पुत्र शब्बीर निवासी भुरवारा थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 3. थाना खीरी पुलिस द्वारा, अ०सं० ४६२/०४ से संबंधित वारंटी अभियुक्त दिनेश पुत्र वसंत लाल, सुधीर पुत्र दिनेश कुमार, मुनेश पुत्र राम दयाल निवासीगण महावीर टोला कस्बा ओयल थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 133 लीटर अवैध</u> <u>शराब बरामद कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 133 लीटर अवैध कच्ची शराब व 02 शराब भट्टी बरामद कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 09 अभियोग पंजीकृत किए गए।